

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



By speed post/Email
Violation Letter
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : **E3321 MCDR-MiFLOFE/4/2022-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक : 07/10/2024

प्रेषिति : श्री दौलत राम गोयल, खान मालिक,

प्रीतमपुरी लोह अयस्क खान,

वार्ड नंबर 04, शाहपुरा रोड,

तहसील एवं जिला- नीम का थाना (राजस्थान)। Email: goyalmineral@gmail.com.

विषय : राजस्थान राज्य के नीम का थाना जिला में स्थित आपकी प्रीतमपुरी चूना पत्थर खान, क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 12/09/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 31.05.2022): - <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5560 tonnes quantity of ROM has been produced during the year 2023-24 against the proposal of 62775 tonne quantity of ROM. ➤ 28 m proposed Retaining wall during the year 2023-24 has not been done on proposed location. ➤ 18 m proposed Garland drain during the year 2023-24 has not been done on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीम का थाना ।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो